

# दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 20)

[6 अप्रैल, 2006]

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946  
का और संशोधन  
करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।
2. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4क की उपधारा (1) के खंड (घ) के धारा 4क का स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— संशोधन।

“(घ) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक भारत सरकार का सचिव—सदस्य”।